कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ

संख्या 3086 / सा0प्र0 / अधिसूचना / स0सु0 / 2020 दिनाँकः लखनऊः 18 जून , 2020

अधिसूचना

चूँकि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988(अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) मे प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित मे मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गाति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता हैः–

और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा(2) के प्राविधानों के अनुसरण मे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा(1) के अन्तर्गत केंन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04. 2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित मे उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान 1988 (अधिनियम संख्या–59,1988) की धारा 112 की उपधारा(2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटयान नियमावली, 1998 के नियम–178 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लखनऊ जनपद होकर निकलने / चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों मे मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र0सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर / थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1.	राज्य मार्ग एस0एच0 –25 पलिया–शाहजहॉपुर –हरदोई–लखनऊ मार्ग	अन्धे की चौकी से शक तिलोइया तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

Scanned with CamScanner

2.	इटौंजा महोना कुम्हरावॉ कुर्सी देवा चिनहट मार्ग (0 से 52(015)	इटौंजा से कुम्हरावॉ तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3	चन्द्रिका देवी बी0के0टी0–कुम्हरावॉ– बाबागंज (0 से 31(950)	बी0के0टी0 से चन्द्रिका देवी तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4.	लखनऊ–कुर्सी–महमूदाबाद मार्ग। (9 से 18)	स्पोर्ट्स कालेज से बेहटा तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5.	बक्शी का तालाब से अस्ती बेहटा मार्ग	बक्शी का तालाब से बेहटा तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6.	मलिहाबाद माल मार्ग।	मलिहाबाद से माल तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7.	माल भरावन मार्ग।	माल से नरिया खेड़ा तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8.	माल इटौंजा मार्ग	इटौंजा से माल तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9.	नबी पनाह अंधे की चौकी मार्ग	अन्धे की चौकी–नबी पनाह– माल	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10.	लखनऊ मोहान मार्ग (राज्य मार्ग सं0–40) एवं 04 लेन सर्विस रोड सहित एवं 02 लेन	आगरा एक्सप्रेस वे के अण्डर पास से मोहान	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11.	बनी–मोहनलालगंज –गोसाईगंज मार्ग	मोहनलालगंज से गोसाईगंज तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12.	बनी–मोहनलालगंज –गोसाईगंज मार्ग	बनी से मोहनलालगंज तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13.	लखनऊ–नगराम–निगोहॉ मार्ग	लखनऊ से नगराम तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14.	बनी–मोहान मार्ग	बनी से मोहान तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

Scanned with CamScanner

15.	दुबग्गा(लखनऊ)–मलिहाबाद–माल–गोपरामऊ	माल से गोपरामऊ तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
16.	दुबग्गा(लखनऊ)–मलिहाबाद–माल–भरावन–बसहरीघाट – भरावन	माल–नरियाखेड़ा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
17.	दुबग्गा(लखनऊ)–मलिहाबाद–रहीमाबाद–रेहटा–गहदो	रहीमाबाद से गहदों	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
18.	लखनऊ–बिजनौर–माती–सिसेण्डी	बिजनौर से सिसेण्डी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
19	दुबग्गा (लखनऊ)–काकोरी –बहरू	काकोरी से बहरू तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 मे विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य मे भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालको को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सकें तथा वे रात्रि मे भी चमके इसके लिये रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 मे विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन

ब) एम्बुलेंस

स) पुलिस वाहन

द) काननू एवं व्यवस्था बनाये रखनें मे लगे सैन्य बल तथा अर्थ सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर) मे केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988(1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या–1377, दिनांक 06.04.2018 समय–समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद–लखनऊ।

Scanned with CamScanner

पृ0सं0 3586/अधिसूचना/समदिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– अपर पुलिस महानिदेशक, (यातायात) निदेशालय, उ0प्र0।

3–पुलिस आयुक्त, लखनऊ नगर, लखनऊ।

4–जिलाधिकारी, लखनऊ।

5–अपर परिवहन आयुक्त, (सड़क सुरक्षा), उत्तर प्रदेश।

6–उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), लखनऊ।

7.–संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) लखनऊ।

8–निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट मे प्रकाशित करने का कष्ट करें।

9–अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड– 01 एवं 02 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

10–राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(पूर्वी/पश्चिमी) लखनऊ।

18/6/20

सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद–लखनऊ।

Scanned with CamScanner